जनपद हरिद्वार द्वारा माह अगस्त 2017 में किये गये सराहनीय कार्य

1-

Police Station Name	थाना कलियर हरिद्वार
Image	
Date Of good work	2017-08-01
Brief	दिनांक 01.08.17 को नफीस अहमद पुत्र राशिद निवासी महमदपुर ने थाना पिरान कलियर पर सूचना दी कि दिनांक 31.07.17 की रात्रि में कार सवार अज्ञात बदमाशों द्वारा मेरे ड्राईवर जाहिद को बंधक बनाकर उससे मेरा टेक्ट्रर महिन्द्रा 575 रजि0 न0 यूके-08एके-0267 मय ट्राली व लकडी बिक्री के 88,300 रुपये लूट कर ले गये जिस सूचना पर मु0अ0स0 142/17 धारा 392 भादवि में पंजीकृत किया गया अभियोग के सफल अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी रुड़की के नेतृत्व में थानाध्यक्ष कलियर द्वारा पुलिस टीम गठित कर अभियुक्तों की तलाश हेतु मुखबिर मामूर कर सर्विलांस आदि के माध्यम से प्रयास किये गये। दिनांक 05.09.17 को मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गयी कि थाना क्षेत्र में दिनांक 31.07.17 को टैक्ट्रर लूट में शामिल अभियुक्त जिसकी आपको तलाश है वह उसी टैक्ट्रर व एक अन्य टैक्ट्रर को लेकर अभियुक्तगण टैक्ट्रर को लेकर देवल पहुंचने वाले है। सूचना पर पुलिस टीम मुखबिर की सूचना पर बताये गये स्थान पर पहुंची जैसे ही पुलिस टीम मुजफ्फरनगर की तरफ से देवल के पास पहूँची तो मुजफ्फरनगर की तरफ से 02 टैक्ट्रर आते दिखाई दिये जिन्हे देखकर रोकने का इशारा किया तो पुलिस टीम को देखकर पीछे के टैक्ट्रर पर सवार अंधेरे का लाभ उठाकर भागने सफल रहे जबकि आगे वाले ट्रैक्टर चालक को पकड़ लिया गया नाम पता पूछा तो अपना नाम मुकिम पुत्र महरदीन निवासी ग्राम जधेड़ी थाना कैराना जनपद शामली उ0प्र0 बताया। सख्ती से पूछताछ की गयी तो बताया कि भागने वाला मेरा साथी जान मोहम्मद उर्फ जाना है ये ट्रैक्टर जाना, बाबू, नायब व मैने कलियर मेहवड पुल के पास से लूटा व दूसरा ट्रैक्टर हम चारो ने बहादराबाद के एक गांव से चोरी किया था, बाबू व नायब कुछ दिन पहले देहरादून मे पकडे गये है। आज इन ट्रैक्टरों को बेचने के लिये जा रहे थे कि आपने पकड लिया। अभियुक्त मुकीम के कब्जे से मुकदमा वादी के चालक से लूटे गये 88,300 रू0 मे से अभियुक्त के हिस्से मे आयी रकम मे से 8200/रू0 व ट्रैक्टर बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

2-

Police Station Name	थाना पथरी, हरिद्वार
Image	
Date Of good work	2017-08-29
Brief	दिनांक 29.08.2017 के वादी श्री संतोष सिंह पुत्र जोगिन्दर सिंह निवासी सहदेवपुर थाना पथरी, हरिद्वार एवं दिनांक 06.09.2017 को वादी श्री नीतेश यादव निवासी म0न0 247 शिवालिक नगर, हरिद्वार द्वारा अज्ञात व्यक्ति द्वारा धोखे से वादी के एटीएम कार्ड बदलकर पैंसे निकाल लेने के सम्बन्ध में क्रमशः कोतवाली ज्वालापुर पर मु0अ0सं0 457/17 धारा 379,420 भादवि एवं कोतवाली रानीपुर पर 357/17 धारा 420 भादवि पंजीकृत कराया गया। उक्त अभियोगों के शीघ्र अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ज्वालापुर एवं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रानीपुर, हरिद्वार द्वारा अपने-अपने स्तर से सुरागरसी-पतारसी में टीमें नियुक्त की गयी। दिनंाक 10.9.17 को मुखबिर की सूचना पर समय 1400 बजे श्री अमरजीत सिह, प्र0नि0 ज्वालापुर, उ0नि0 सुन्दरलाल, उ0नि0 सुरेन्द्र बिष्ट, का0 30 ना0पु0 हेमन्त, का0 1027 फरीद, का0 1475 उदय सिह कोतवाली ज्वालापुर हरिद्वार द्वारा मण्डी चैक के पास से तीन अभियुक्त गण 1- प्रवेश

	कुमार पुत्र जगर सिह निवासी ग्राम खडोली थाना ककडखेडा मेरठ उ0प्रदेश 2- अमित वर्मा पुत्र गुरूदयाल निवासी मौ0 चाकलान ज्वालापुर हरिद्वार 3-अनिल कुमार पुत्र भवर सिह निवासी विलासपुर थाना देवबन्द सहारनपुर, उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर, अभियुक्तगण के कब्जे से कोतवाली ज्वालापर पर पंजीकृत मु0अ0स0 457/17 धारा 379,420 भादवि व थाना रानीपुर, हरिद्वार पर पंजीकृत मु0अ0स0 357/17 धारा 379,420 भादवि से सम्बन्धित 25 हजार रूपये नगद व 02 कंगन, एक अंगूठी सोने (लगभग 50 हजार) की बरामद की गयी। अभियुक्तगण द्वारा एटीएम बदल कर रूपये निकाल देने का इकबाल किया गया।

3-

Police Station Name	कोतवाली रूड़की
Image	
Date Of good work	05.08.17
Brief	दिनांक 05.08.17 को सूचना प्राप्त हुई कि ढंढेरी में उत्तराखण्ड पम्प एवं पाईप गोदाम में रात्रि चौकीदारों की अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गयी है। जिस पर तत्काल जनपद के अधिकारीगण व स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंचा व मृतक मेघराज पुत्र कन्टू सिंह व इन्दर सिंह पुत्र सौदागर सिंह निवासीगण ग्राम शेरपुर कोतवाली रूडकी हरिद्वार जो कि उक्त गोदाम में रात्रि चौकीदार थे के शवों को पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया। दिनांक 05.08.17 को इनकराम पुत्र इंदर सिंह की लिखित तहरीर पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 294/17 धारा 302 भादवि पंजीकृत हुआ। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मौके पर ही टीमों का गठन कर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में व पुलिस उपाधीक्षक को टीम प्रभारी बनाते हुए शीघ्र घटना के अनावरण हेतु लगाया गया। घटना में शीघ्र अनावरण हेतु मुखबिर मामूर किये गये व हत्या की जांच व अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिये एसआईटी टीम का गठन किया गया। जिसमें एसआईटी प्रभारी निरीक्षक साधना त्यागी को नियुक्त कर जनपद के कुशल कर्मगण एवं सीआईयू रूड़की को नियुक्त किया गया। जिसका निर्देशन स्वयं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व पुलिस उपाधीक्षक द्वारा किया गया। टीम द्वारा हत्या की घटना का पुनः बारीकी से निरीक्षण करते हुए संदिग्ध व्यक्तियों से लगातार पूछताछ व सर्विलांस के माध्यम से घटना को कारित करने वाले व्यक्तियों 1- धमेन्द्र पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी केल्हनपुर कोतवाली रूड़की हरिद्वार 2- अनुज पुत्र नरेश निवासी ढढेरी ख्वाजगीपुर कोतवाली रूड़की 3- मोहन उर्फ आयूस पुत्र विनोद सैनी निवासी ढढेरी को दिनांक 19.09.17 को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पर पकडे गये अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वह लोग उत्तराखण्ड पम्प एवं पाईप गोदाम में मजदूरी व चैकीदारी का कार्य करते थे तथा बेलड़ी ग्राम प्रधान ललित सेठ के सुपारी देने पर हम लोगों ने दिनांक 08.04.17 को सांय करीब 09:00 बजे पहले आवाज लगाकर गोदाम का दरवाजा खुलवाया व अंदर घुसकर चौकीदार मेघराज व इंदर सिंह की धारदार हथियार व सरियों से हमला कर हत्या की थी व अपनी पहचान छिपाने के लिये गोदाम में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर निकाल कर अपने साथ ले गये थे जिसे हमने तोड़कर नहर में फेक दिया था। इस हत्या करने के एवज में ग्राम प्रधान बेलड़ी ललित रोड ने हमें डेढ लाख रूपये दिये थे जो हमने आपस में बांट लिये थे। पूछताछ में अभियुक्तों ने यह भी बताया कि ललित रोढ आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है तथा उसकी जमीन गोदाम के पास है गोदाम का मालिक आशीष गुप्ता मूलतः हरियाणा का रहने वाला है। ललित प्रधान गोदाम के मालिक को यह से गोदाम छोडकर भगाना चाहता है तथा उक्त गोदाम पर अपना कब्जा करना चाहता है। इसलिये ललित प्रधान ने हमे सुपारी देकर यह हत्या करायी है, ताकि गोदाम मालिक दहशत में आकर गोदाम छोड़कर बेचकर चला जाये तथा मैं उस पर अपनी फैक्ट्री बना सकू।